सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 11, शुक्रवार, शाके 1944-सितम्बर 02, 2022 *Bhadra 11, Friday , Saka 1944- September 02, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 22, 2022

संख्या एफ.1(8)(5)(4)रा.ठे.श्र.सं.मं./श्रम/95/पार्ट :-ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 37) की धारा 4 सपठित राजस्थान ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) नियम, 1971 के नियम 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को राजस्थान राज्य ठेका श्रम सलाहकार मण्डल में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करती हैः

1. श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - अध्यक्ष
2. 2. शासन सचिव, श्रम, कारखाना बॉयलर्स एवं ई एस आई विभाग, राजस्थान- सदस्य
   (राज्य सरकार के प्रतिनिधि)
3. श्रम आयुक्त, राजस्थान -पदेन सदस्य
4. सचिव, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान, जयपुर -सदस्य
   (इ.गा.न.प. के प्रतिनिधि)
5. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर -सदस्य
   (सा.नि.वि. में नियोक्ता के प्रतिनिधि)
6. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग -सदस्य
   (सिंचाई विभाग में नियोक्ता के प्रतिनिधि)
7. **ठेकेदार संस्थानों (संघ) के नियोक्ता प्रतिनिधि** - सदस्य
   1. श्री विष्णु मित्तल, अध्यक्ष, राज. स्टेनलेस स्टील
   2. श्री राजकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, बगरू इण्डस्ट्रीयल एसोसिएशन
8. **ठेका श्रमिकों (संघ) के प्रतिनिधि** - सदस्य
   1. श्री चन्दन सिंह देवडा, पिण्डवाडा
   2. श्री राजेन्द्र सिसोदिया/भवानीसिंह जी, कुम्भकोट, तह रामगंज मण्डी
   3. श्री शफी मोहम्मद, मकराना

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (औद्योगिक सम्बन्ध) राजस्थान राज्य ठेका श्रम सलाहकार मण्डल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

पतंजलि भू,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
संयुक्त पदेन संयुक्त शासन सचिव।
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।